पंचदश माला, खंड 1, अंक 4

गुरुवार, 4 जून, 2009
14 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

पी.एल.एस.–48/1/4/2009 (एन०)
229

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 4 जून, 2009/14 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण.	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण.	1–17
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूचनाएं	17
निधन संबंधी उल्लेख.	18–22
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	23–24
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति.	24–24

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष*

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका**

श्री बसुदेव आचार्य

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री बिरेन सिंह इंग्ती

श्रीमती सुमित्रा महाजन

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

---

* 08.06.2008 को निर्वाचित।

** राष्ट्रपति द्वारा 29.05.2009 को नामनिर्देशित।

राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2009 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री बसुदेव आचार्य, अर्जुन चरण सेठी, बिरेन सिंह इंग्ती और श्रीमती सुमित्रा महाजन को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करती हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत की राष्ट्रपति।''

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 4 जून, 2009/14 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतीस मिनट पर समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: महासचिव उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

महासचिव: श्री शिबू सोरेन, श्री कामेश्वर बैठा, श्री अनंत गीते।

अपराह्न 12.36 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

महाराष्ट्र

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) शपथ मराठी

उत्तर प्रदेश

श्री कमलेश बाल्मीकि (बुलन्दशहर) शपथ हिन्दी

अपराह्न 12.38 बजे

[अनुवाद]

महासचिव: मैं, 4 जून, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[हिन्दी]

****माननीय सदस्यगण:**

पंद्रहवीं लोक सभा के चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं, लोक सभा के सभी सदस्यों, खासतौर पर नवनिर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करती हूं। आप यहां हैं क्योंकि आपने पिछले कुछ महीने भीषण गर्मी में अपने मतदाताओं को यह समझाने में बिताए हैं कि आप किस प्रकार बेहतर ढंग से उनकी अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आज आपके पास जनादेश है, और भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका है। भारत की सौ करोड़ से अधिक जनता, जो संपूर्ण मानवजाति का छठा हिस्सा है, उनकी आशाओं का प्रतिनिधित्व करने का यह सौभाग्य असल में कुछेक चुनिंदा लोगों को ही मिलता है।

मुझे विश्वास है कि जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो उनकी चिंताओं और आशाओं को प्राथमिकता देंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अगले पांच वर्षों में प्रत्येक दिन जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में बिताएंगे और ऐसा करते हुए अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

मैं लोक सभा के सदस्यों को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुनने के लिए बधाई देती हूं और वह भी एक महिला, जो दलित है और गौरवमयी है। इससे भारतीय लोकतंत्र का, सदन का तथा उसके सदस्यों का खुद का सम्मान बढ़ा है।

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल राज्य में चक्रवात के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। आइए, हम शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करें। मेरी सरकार पश्चिम बंगाल की चक्रवात से पीड़ित जनता को हर संभव राहत मुहैया कराएगी।

मैं निर्वाचन आयोग को और उन लाखों कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने 15वीं लोक सभा के चुनावों को सुगमता और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। भारतीय संसद के लिए चुनाव वस्तुतः विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और यह बृहत और महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न किया गया। लोकतंत्र की संकल्पना, मानवजाति की श्रेष्ठतम विचारधाराओं में से एक है, और भारत में होने वाले प्रत्येक चुनाव में प्रतिनिधि चुनने की इस स्वतंत्रता को अमल में लाया जाता है जिससे यह संकल्पना और अधिक बलवती होती है। यह सर्वविदित है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का समूचे विश्व में विशिष्ट स्थान है। किसी सुदूर गांव में जब कोई बुजुर्ग महिला गर्व से अपनी तर्जनी उठाकर उस पर अमिट स्याही का निशान दिखाती

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एलटी-2115/2009

**भारत की राष्ट्रपति, महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने केन्द्रीय कक्ष में हिन्दी में अभिभाषण दिया और भारत के उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा अभिभाषण का अंग्रेजी पाठ पढ़ा गया।

है, तो वस्तुत: वह दुनिया से यही कह रही होती है कि उसके पास अपने देश में परिवर्तन लाने की शक्ति है।

वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का ही परिणाम है। यह जनादेश समग्र वृद्धि, समतापूर्ण विकास और पंथनिरपेक्ष तथा बहुलवर्गीय भारत के लिए है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेरी सरकार और अधिक परिश्रम से तथा बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की सतत प्राथमिकता समावेशन के लिए चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की है। इस कार्य के लिए सरकार को पुन: ऊर्जावान बनाने और शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक विकास को पुन: उच्च विकास पथ पर लाने की चुनौती का मुकाबला करने की जरूरत होगी जो वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा सके इसके लिए जल्द विकास आवश्यक है। सभी क्षेत्रों और सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अवसंरचना में परिव्यय बढ़ाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास प्रक्रिया न केवल त्वरित हो बल्कि उसे सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से अधिक समावेशी और समतापूर्ण बनाया जाए। जैसी कि मेरी सरकार ने 2004 में भी चर्चा की थी–आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशिता के लिए हमारी जनता की तीव्र लालसा और विघटनकारी एवं असहिष्णु शक्तियों को नकारना, आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है और इस दिशा में सतत प्रयास किए जाने हैं।

मेरी सरकार बढ़ती अपेक्षाओं की चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। अगले पांच वर्षों में मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता वाले दस विस्तृत क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं:

* आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखना;
* कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ाना;
* रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, शहरी नवीकरण के लिए विद्यमान प्रमुख कार्यक्रमों का समेकन तथा खाद्य सुरक्षा और कौशल विकास के लिए नए प्रमुख कार्यक्रम शुरू करना;
* महिलाओं, युवाओं, बच्चों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, भिन्न रूप से सक्षम तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए संगठित कार्रवाई और सुदृढ़ीकृत सामाजिक सुरक्षा;
* शासन-व्यवस्था में सुधार;
* अवसंरचना का सृजन और आधुनिकीकरण तथा प्रमुख सैक्टरों में क्षमता-वर्धन;
* विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन;
* ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण;
* विश्व के साथ रचनात्मक और सृजनात्मक तालमेल; और
* उद्यम और नवाचार की संस्कृति का संवर्धन।

मेरी सरकार आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत सतर्कता बरतेगी। किसी भी स्रोत से उत्पन्न आतंकवाद को सिरे से नकारने की नीति अपनाई जाएगी। विद्रोह और वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे। आतंरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली एक विस्तृत योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। आसूचना के कारगर आदान-प्रदान तथा कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए बहु-एजेंसी केंद्र को मजबूत बनाया जाएगा तथा सभी राज्यों में सहायक बहु-एजेंसी केंद्रों को सक्रिय किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा आतंकवाद-संबंधी अपराधों से निपटने के लिए उसे सशक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों तथा आसूचना एजेंसियों का विस्तार किया जाएगा और उन्हें सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से पूरी तरह लैस किया जाएगा। प्रो-एक्टिव आतंकवादरोधी उपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केंद्र की स्थापना की जाएगी। विशेष बल एवं त्वरित कार्रवाई दल गठित किए जाएंगे और उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। रियल टाइम आधार पर सूचना एवं आसूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने का काम एक नैट-सैन्ट्रिक सूचना कमान संरचना के गठन से संभव हो सकेगा।

मेरी सरकार पुलिस सुधार के लिए सक्रिय कार्रवाई करेगी तथा आंतरिक सुरक्षा में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, सरकार उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर एवं देश के अन्य भागों में हिंसा का परित्याग करने वाले सभी समूहों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का प्रयास करती रहेगी।

सांप्रदायिक सद्भावना को हर कीमत पर बनाए रखा जाएगा। मेरी सरकार को मिला जनादेश स्पष्ट है कि जनता इस देश के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से मेरी

सरकार सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक के शीघ्र अनुमोदन हेतु प्रयास करेगी।

हमारे सशस्त्र बल राष्ट्र के गौरव, बलिदान और पराक्रम के हमारे मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के प्रतीक हैं। भारतीय रक्षा बल राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के कार्य के प्रति कटिबद्ध हैं। भूमि, समुद्र और आकाश से होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा पूर्ण रूप से समर्थ बनाया जाएगा। युद्ध-कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक समय के युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। भूतपूर्व-सैनिकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे की जांच-पड़ताल करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है और आशा है कि जून, 2009 के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।

प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान पत्र स्कीम लागू करने का कार्य एक अधिकार प्राप्त समूह की निगरानी में तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इससे विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा के लिए पहचान का प्रयोजन सिद्ध होगा।

मेरी सरकार विगत पांच वर्षों में विकास की गति बढ़ाने में सफल रही है और इस दौरान इनका रिकार्ड औसत 8.5 प्रतिशत रहा। इससे उच्च गुणवत्तायुक्त नौकरियों में खासी वृद्धि हुई तथा हमें ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने और सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने के लिए क्षमता भी प्राप्त हुई। मेरी सरकार ने कृषि को नई दिशा दी। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाया गया। पैंसठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण माफ किए गए तथा प्रापण कीमतों में काफी वृद्धि हुई। इन उपायों से कृषि विकास में नई शुरूआत हुई। मेरी सरकार बड़ी संख्या में नए स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के जरिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, पंद्रह करोड़ से अधिक बच्चों के लिए एक मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने, प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं सोलह लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऋण देने तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में निवेश की एक नई लहर उत्पन्न करने में सफल रही है। वह ग्रामीण जनस्वास्थ्य अवसंरचना का पुनरुद्धार करने और बीमा स्कीमों एवं पेंशनों के जरिए सामाजिक सुरक्षा को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में सफल रही है। सरकार रक्षा कार्मिकों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को लागू करने में भी सफल रही है। मेरी सरकार ने विगत पांच वर्षों में राज्यों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की। ये सभी कार्य इसीलिए संभव हो सके क्योंकि उच्च विकास से अधिक संसाधनों का सृजन हो सका। इसलिए, यह आवश्यक है कि विकास की यह गति बनी रहे।

वैश्विक मंदी के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास की गति धीमी होने की संभावना है। मेरी सरकार ने इस अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, जिनमें तीन प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। इनके परिणाम दिखने लगे हैं। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैसी मंदी से नहीं गुजरना पड़ा जैसा कि विश्व में लगभग अन्य सभी देशों के साथ हुआ है। मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, विशेष रूप से जी-20 के मंच के माध्यम से, सक्रिय संपर्क में रही है ताकि वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके तथा आवश्यक सुधार शीघ्रातिशीघ्र किए जा सकें। हमारी तात्कालिक प्राथमिकता अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर फोकस करने की होनी चाहिए जिससे सैक्टरीय तथा बृहत्-स्तरीय नीतियों के संयोजन के जरिए वैश्विक मंदी के प्रभाव का निस्तारण हो सके। मेरी सरकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित सैक्टरों, विशेषतया लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात, वस्त्र, वाणिज्यिक वाहन, अवसंरचना और आवास पर ध्यान केन्द्रित करेगी। उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में सरकारी-निजी भागीदारी करके ढांचागत क्षेत्रों में सरकारी निवेश में प्रतिचक्रीय बढ़ोत्तरी के लिए उपाय किए जाने चाहिए। निवेश का वित्तपोषण करना एक बड़ी समस्या है तथा मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की मध्यावधिक कार्यनीति के अनुरूप नए कदम उठाए जाएं।

हाल के वर्षों में हमारे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश का लाभ मिला है। इस निवेश को, विशेष तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को एक समुचित नीतितंत्र के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। बैंकिंग और बीमा सैक्टरों में संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत भी है ताकि वे समाज की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इस प्रयोजन से, मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उनका पुन: पूंजीकरण करेगी तथा पेंशन सैक्टर के लिए एक विनियामक स्थापित करने के लिए विधान भी लाएगी।

गत पांच वर्षों के दौरान कृषि एवं सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में आई गति को और बढ़ाया जाएगा तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए तीन बड़े कार्यक्रमों—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सुदृढ़ किया जाएगा।

मेरी सरकार ने जो प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं उनके फलस्वरूप देश समग्र विकास की ओर अग्रसर हुआ है। हमारा प्रयास अगले पांच वर्षों में इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति हुई है अर्थात् यह सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में और ग्रामीण पुनर्संरचना के लिए विश्व के

सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर सिद्ध हुआ है। बदलाव लाने की इसकी क्षमता स्पष्ट दिखायी पड़ रही है। मेरी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के क्षेत्र में विस्तार करेगी जो इस समय अकुशल श्रमप्रधान कार्य तक ही सीमित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अन्य कार्यक्रमों के साथ बेहतर रूप से जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मार्फत भूमि उत्पादकता में सुधार के अवसर को बढ़ाया जाएगा। पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर स्वतंत्र मानीटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण शुरू कर दिया है। अगले पांच वर्षों में शिशु-मृत्युदर और मातृ-मृत्युदर में स्पष्ट कमी लाने के लिए इस मिशन को और मजबूत किया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम की मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के टीका बनाने वाले संस्थानों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मेरी सरकार अगले पांच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। कुपोषण स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए पोषाहार वितरण कार्यक्रम को पंचायत संस्थाओं की निगरानी के अंतर्गत लाने के लिए और आंगनवाड़ियों में ताजा पके हुए खाने की व्यवस्था अपनाने के लिए उसमें व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक स्कूलों तक बच्चों की पहुंच को सुलभ बनाया है और सर्वव्यापी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई है। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, जो अभी संसद के विचाराधीन है, के अधिनियमन द्वारा स्तरीय शिक्षा को अधिकार बनाने पर मुख्यत: ध्यान दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ होगी। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली नई संस्थाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार किया जाएगा जिससे देश शिक्षा की चुनौती का पूर्णरूप से सामना करने में समर्थ हो सकेगा। पिछले पांच वर्षों में जरूरतमंद और पात्र विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियां और शैक्षिक ऋण प्रारम्भ किए गए। इन कार्यों की समीक्षा की जाएगी और इन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के लिए सरकार की कार्यनीति विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता के तिहरे लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी। इस कार्यनीति का निरूपण और कार्यान्वयन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार किया जाएगा।

पिछली जनगणना में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 75 से भी अधिक था और अब इसके और बढ़ने की आशा है। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 54 ही था। मेरी सरकार अगले पांच वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के रूप में पुनर्गठित करेगी। आशा है कि महिला साक्षरता में वृद्धि से सामाजिक विकास के हमारे सभी कार्यक्रमों में कई गुना बढ़ोत्तरी होगी।

मेरी सरकार ने पांच वर्ष पूर्व भारत निर्माण को ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना के रूप में प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम से सड़क, बिजली और टेलीफोन जैसी मूलभूत अवसंरचना को बहुत से गांवों में पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। इससे ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास जैसे अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि हुई है। शेष कार्यों को भारत निर्माण के दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में भारत निर्माण के लिए और अधिक लक्ष्य तय करना भी प्रस्तावित है।

* इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2004-2009 की अवधि में साठ लाख घरों के मूल लक्ष्य से भी अधिक घर बनाए गए। अब अगले पांच वर्षों में यह ग्रामीण आवास लक्ष्य दोगुना हो जाएगा जिसके तहत एक करोड़ बीस लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।

* ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा और अगली योजना में इसका प्रबंधन पंचायतों को सौंप दिया जाएगा।

* अगले पांच वर्षों में ग्रामीण दूरसंचार का लक्ष्य ग्रामीण दूरसंचार घनत्व को 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का रहेगा और तीन वर्षों में प्रत्येक पंचायत को एक ब्राडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए ब्राडबैंड कवरेज को बढ़ाया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्रों अथवा ई-कियोस्कों की योजना को समुचित रूप से पुन: अवस्थित किया जाएगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तरीय भारत निर्माण सामान्य सेवा केन्द्रों का नेटवर्क बन सकें।

* ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई और गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए नए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

पिछले चार वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजनाओं के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हमारे शहरों का रूप बदल रहा है और इसका व्यापक स्वागत हुआ है। सरकार अवसंरचना, मूलभूत सेवाओं और शासन

व्यवस्था में सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान देती रहेगी और सार्वजनिक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए शहरों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। शहरी गरीबों के लिए 15 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है। शहरी आवास कार्यक्रमों को स्लम-बस्तियों में रह रहे गरीबों पर केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार का प्रस्ताव, ग्रामीण गरीबों हेतु इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर स्लम-बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों हेतु राजीव आवास योजना प्रारंभ करने का है। भागीदारी की मार्फत किफायती आवास की योजनाओं और शहरी आवास के लिए ब्याज-सब्सिडी की योजना को राजीव आवास योजना में मिला दिया जाएगा जिससे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उन राज्यों को सहायता दी जाएगी जो स्लम-बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति के अधिकार सौंपने के इच्छुक हैं। मेरी सरकार का प्रयास होगा कि राजीव आवास योजना द्वारा पांच वर्षों में भारत को स्लम-रहित कर दिया जाए।

मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया कराएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा।

सरकार महिलाओं, युवाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और बुजुर्गों को और अधिक अवसर मुहैया कराने तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग है। महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने वाले कुछ ठोस प्रस्तावित कदम हैं–सभी स्तरों पर निर्वाचित निकायों में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और एक राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन।

हमारी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है और उनकी सृजनात्मक ऊर्जा हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उनकी शिक्षा, रोजगार क्षमता और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निवेश करना एक चुनौती है। यदि भारत अपने युवाओं के कौशल विकास में निवेश करता है तो इसकी क्षमता समूचे वैश्विक कार्य-बल के एक-चौथाई के बराबर होगी। रोजगारपरक कौशल मुहैया कराने वाली शिक्षा अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करने की कुंजी है। मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में कानूनी परिवर्तन किए हैं और इस क्षेत्र में निवेश किया है। इन प्रयासों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। शिक्षा में भारी निवेश करने के अलावा सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास की पहल पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिसके अंतर्गत 2022 तक पचास करोड़ कुशल लोग तैयार करने के अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ कार्य शुरू हो गया है ताकि हमें अपनी इस कौशलयुक्त आबादी का लाभ प्राप्त हो सके।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन की देखभाल यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि 2009 के अंत तक सभी हक विलेख वितरित कर दिए जाएं।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण को उच्चतम प्राथमिकता देना जारी रखेगी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई कुछ सीमा तक सरकारी संसाधनों, नौकरियों और योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चित करने में सफल रही है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार वक्फों के प्रशासन को सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास करेगी, हज संचालन के प्रबंधन में सुधार लाएगी और एक समान अवसर आयोग स्थापित करेगी।

किसानों और कृषि पर निर्भर अन्य व्यक्तियों की अनुचित विस्थापन से रक्षा के लिए तैयार और संसद में प्रस्तुत किए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन विधेयक और पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास विधेयक पारित नहीं हो सके थे। हमारा प्रयास होगा कि ये विधेयक संसद के बजट सत्र में पुन: प्रस्तुत और अधिनियमित कर दिए जाएं।

मेरी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे और 65 वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, सभी विकलांगों और चालीस वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं को पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की है। सरकार विशेष जोखिम के दायरे में आने वाले अन्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर विचार करेगी। भूमिहीन मजदूरों, बुनकरों, मछुआरों, ताड़ी निकालने वालों, चर्मकारों, बागान श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, खान श्रमिकों और बीड़ी मजदूरों जैसे अन्य व्यवसायों को भी समुचित रूप से सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के दायरे में लाया जाएगा।

सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने हेतु शासन में सुधार करना मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें इस प्रयास में मार्गदर्शी होंगी। मेरी सरकार

इन मुद्दों पर भी प्रमुखता से ध्यान देगी जैसे सरकार के उच्चतर स्तरों की संरचनाओं में सुधार, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण, शासन में महिलाओं और युवाओं को शामिल करना, प्रक्रिया सुधार और जनता के प्रति जवाबदेही आदि। प्रक्रिया सुधार के भाग के रूप में, मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों में यह उल्लेख किया जाएगा कि विचारार्थ प्रस्तावों से समता अथवा समावेश, नवाचार तथा जनता के प्रति जवाबदेही के लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार होगी।

मेरी सरकार अगले 100 दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी:

* राज्य विधानमंडलों तथा संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराना;
* पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन। महिला को वर्ग, जाति तथा महिला होने के कारण अनेक अवसरों से वंचित रहना पड़ता है इसलिए पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण को बढ़ाने से और अधिक महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगी;
* केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास;
* बेहतर समन्वय हासिल करने के लिए महिला-केन्द्रित कार्यक्रमों को मिशन के रूप में लागू करने हेतु महिला सशक्तीकरण पर एक राष्ट्रीय मिशन;
* एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा कोर जो नदी सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के दायरे में रचनात्मक सामाजिक कार्य कर सके और जिसकी शुरूआत गंगा नदी से हो;
* विकेंद्रीकृत नियोजन तथा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास पर फोकस करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जो अन्य विकास निवेश से भी संबद्ध है, का पुनर्गठन करना। आगामी तीन वर्षों में पंचायती राज कार्यकर्ताओं को प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा;
* असामरिक क्षेत्रों से संबंधित सभी सूचना को जनता के दायरे में लाने के लिए एक सार्वजनिक डाटा नीति तैयार करना। इससे नागरिकों को डाटा पर प्रश्न पूछने और शासन सुधार में प्रत्यक्ष भागीदारी करने में मदद मिलेगी;
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा लागू करना और शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति करना;
* सरकार द्वारा सभी असामरिक क्षेत्रों में सूचना देने की व्यवस्था करने के लिए विधि में समुचित संशोधन करके सूचना के अधिकार को और सुदृढ़ करना;
* प्रमुख कार्यक्रमों में जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा सम्प्रेरित एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना। यह कार्यालय प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठनों के सहयोग से एक नेटवर्क माडल के रूप में कार्य करेगा, साथ ही प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धि का मूल्यांकन करके उन्हें जनता के समक्ष लाएगा;
* सरकार में नियमित आधार पर कार्य-निष्पादन देखभाल तथा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित करना;
* सरकार एक राष्ट्रीय चर्चा प्रारंभ करने के उद्देश्य से 'जनता को रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण तथा अवसंरचना पर पांच वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;
* नगर विकास गतिविधियों को सहयोग देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से सभी शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों की एक स्वैच्छिक तकनीकी कोर का गठन करना;
* विकास कार्यों में संलग्न सरकारी सहायता के इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों के लिए सरकारी पोर्टल पर वेब-आधारित सुविधा प्रदान करना जिससे आवेदन की स्थिति पारदर्शी रूप से मानीटर की जा सके;
* डाकघरों तथा बैंकों में खातों के माध्यम से छात्रवृत्तियों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करना और चरणबद्ध रूप से इनका स्मार्ट कार्डों में अंतरण करना;
* वित्तीय समावेश के लिए संपर्क इकाइयों के रूप में कार्य हेतु बैंकों तथा डाकघरों में व्यापक सुधार करना जिसमें प्रौद्योगिकी संपन्न बिजनेस कोरसपोन्डेंट भी शामिल हैं;
* अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों में भारत निर्माण सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक शासन व्यवस्था;

* राज्यों के साथ परामर्श करके एक माडल जन सेवा कानून तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जो अपने कर्त्तव्यों के प्रति जवाबदेह होंगे;

* वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार करने तथा कुशल कार्मिकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सर्वोच्च विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद का गठन;

* यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विनियामक संस्थाओं में सुधार;

* 11वीं योजना में प्रस्तावित 14 विश्वविद्यालयों को 'नवाचार विश्वविद्यालय' के रूप में स्थापित करने हेतु विश्व भर की प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिए प्रतिभा-लब्धि (ब्रेन गेन) नीति का विकास;

* न्यायिक सुधार की रूपरेखा छह महीने में तैयार की जाएगी जिसे समयबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा;

* बहु-प्रयोजन गरीबी रेखा से नीचे की सूची (बीपीएल) के स्थान पर लक्षित पहचान पत्र को लागू किया जाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक जाब कार्ड उपलब्ध है तथा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी एक नया कार्ड उपलब्ध होगा। वर्तमान में बहुप्रयोजन बीपीएल सूची का प्रयोग करने वाले अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान से कार्यक्रम के उद्देश्यों पर आधारित पहचान में सुधार होगा। यह पहचान इस साझे आधारभूत सिद्धांत पर आधारित होगी कि सभी लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जानी है और इस सूची को जनता के सामने लाया जाएगा, ताकि यदि आवश्यक हो, तो आपत्ति दर्ज की जा सके;

* प्रमुख कार्यक्रमों तथा विशेष परियोजनाओं को मानीटर करने के लिए तथा सार्वजनिक रूप से उनकी स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कार्य-निष्पादन मानीटरिंग यूनिट का गठन;

* 'भारत निर्माण त्रैमासिक रिपोर्ट' के रूप में प्रमुख कार्यक्रमों पर समुचित रूप से संस्थागत त्रैमासिक रिपोर्टिंग जिसमें मंत्री मीडिया के माध्यम से प्रगति पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट देंगे।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में अवसंरचना मूलभूत कारक है और अगले पांच वर्षों में अवसंरचना विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नीतियों तथा प्रक्रियाओं के कारण अवसंरचना परियोजनाओं, विशेषकर रेल, विद्युत, राजमार्गों, पत्तनों, विमानपत्तनों तथा ग्रामीण दूरसंचार के कार्यान्वयन में आने वाले व्यवधानों और उनमें होने वाली देरी को व्यवस्थित रूप से दूर किया जाएगा। सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएं इस कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएं, जो इस समय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक स्वीकृति दी जाएगी। सरकारी-निजी भागीदारी के विनियामक तथा विधिक ढांचे को और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। मेरी सरकार उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना विकास तथा इन क्षेत्रों के साथ और अधिक संपर्क स्थापित करने पर विशेष बल देती रहेगी।

हमारे साथी नागरिकों को यह पूरा हक है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरधारक बन सकें, और सरकार मेजारिटी शेयरधारक और नियंत्रक बनी रहे। मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लिस्टिंग करने तथा इनमें जनता के स्वामित्व के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि सरकार की इक्विटी 51 प्रतिशत से कम न हो जाए।

मेरी सरकार विशेष तौर से आवश्यक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के संबंध में उच्च विकास के साथ-साथ निम्न मुद्रा स्फीति बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व का दृढ़ता से निर्वहन करेगी जिससे आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना में निवेश करने के लिए केंद्र का सामर्थ्य लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सभी आर्थिक सहायता हमारे समाज के वास्तविक जरूरतमंदों तथा गरीब तबकों को ही पहुंचे। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाएगी और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन किए जाएंगे।

मेरी सरकार बेहतर तथा सरलीकृत कर-प्रशासन के कारण प्रत्यक्ष करों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि कर पाई है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। माल तथा सेवा-कर की ओर अग्रसर होने के लिए इसकी रूपरेखा पर तेजी से कार्य किया जाएगा। मेरी सरकार, भारतीय नागरिकों के देश के बाहर गुप्त बैंक खातों के अवैध धन के मुद्दे के प्रति पूरी तरह से सजग है। सरकार संबंधित देशों के साथ समन्वय स्थापित करके सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाएगी।

एकीकृत ऊर्जा नीति के आधार पर ऊर्जा के लिए समन्वित कार्रवाई की जाएगी। प्रयास यह रहेगा कि विभिन्न स्रोतों—कोयला, जल-विद्युत, नाभिकीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से

प्रतिवर्ष कम से कम 13 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि की जाए। ग्राम तथा ग्रामीण परिवार विद्युतीकरण करने तथा समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसानों में कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। समयबद्ध उपायों द्वारा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कार्य कुशलता को बढ़ाया जाएगा जिसमें खुली भागीदारी के प्रावधानों को लागू करना भी शामिल है।

तेल तथा गैस अन्वेषण की गति में तेजी लाई जाएगी और भारत की तेल संबंधी कूटनीति को पूर्ण उत्साह से जारी रखा जाएगा। कोयला क्षेत्र में सुधार संबंधी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है, और इस कार्य को तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा। यद्यपि यूरेनियम के घरेलू स्रोतों का दोहन किया जा रहा है तथा देश में डिजाइन किए गए फास्ट ब्रीडर तथा थोरियम रिएक्टर पर कार्य चल रहा है तथापि विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सिविल नाभिकीय करार शुरू किए जाएंगे।

मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो एक विशिष्ट पहचान प्राप्त कर चुका है, दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम पूर्वानुमान में योगदान करने के अतिरिक्त कृषि, दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा में तथा ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को सूचना मुहैया कराकर समाज को भरपूर लाभ पहुंचाता रहे। पिछले पांच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कई नवाचारी पहलों, जिन पर अब कार्य किया जा रहा है, को और सुदृढ़ किया जाएगा।

मेरी सरकार आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से पर्यावरण परिवर्तन के मामलों पर सक्रिय कार्य कर रही है। इनमें से राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन को इस वर्ष के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, बेसिन राज्यों के साथ सहभागिता करके नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए एक नई कार्य योजना विकसित करेगा।

मेरी सरकार की विदेश नीति भारत की सामरिक स्वायत्तता और अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बरकरार रखते हुए देश के सुविचारित राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती रहेगी जो हमारी असली पहचान भी है। भारत को अपने पड़ोसियों की स्थिरता तथा संपन्नता में गहरी रुचि है। इस क्षेत्र में स्थिरता, विकास तथा संपन्नता बढ़ाने के लिए सार्क देशों में हमारे मित्रों के साथ कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करेगी जिससे बकाया मसलों को सुलझाया जा सके तथा इस क्षेत्र की संपूर्ण संभाव्यताओं का इष्टतम लाभ उठाया जा सके।

मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नया रूप देने का प्रयास करेगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने वाले समूहों के विरुद्ध वास्तविक रूप में क्या कार्रवाई करता है। हम श्रीलंका सरकार के उन प्रयासों का समर्थन करेंगे जिनसे वहां के संघर्ष का स्थायी राजनैतिक समाधान हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि श्रीलंका के सभी समुदाय, विशेषकर तमिल सुरक्षित महसूस करें और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हों जिससे वे गरिमापूर्ण और आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें। भारत इस संघर्ष से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में समुचित योगदान करेगा। भारत नेपाल और बांग्लादेश में जहां बहुदलीय लोकतंत्र वापस आ चुका है, आपसी हितों के लिए दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार को जारी रखने के लिए निकटता से कार्य करेगा। भूटान और मालदीव के साथ भारत अपनी सघन और जीवंत सहभागिता सुदृढ़ करेगा और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग देना जारी रखेगा।

प्रमुख शक्तियों के साथ हमारे संबंधों में सुधार की गति को बनाए रखा जाएगा। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारी सहभागिता में आए बदलाव को और आगे बढ़ाया जाएगा। विगत वर्षों में रूस के साथ हमारी सामरिक भागीदारी बढ़ी है और हम इसे और सुदृढ़ करेंगे। मेरी सरकार यूरोप के देशों और जापान के साथ उन सतत राजनयिक प्रयासों को जारी रखेगी जिनके फलस्वरूप 2004 से हमारे संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। चीन के साथ बहु-आयामी साझेदारी का विस्तार किया जाएगा।

मेरी सरकार अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ कार्य करना जारी रखेगी। हमारी सरकार शीघ्रातिशीघ्र व्यवहार्य फिलीस्तीन राज्य की स्थापना के जरिए, पश्चिम एशिया में शांति के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देगी। खाड़ी के देशों के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को सुदृढ़ किया जाएघा। मेरी सरकार द्वारा आयोजित प्रथम भारत-अफ्रीका शिखर वार्ता से अफ्रीका के साथ चल रहे हमारे संबंधों को मजबूती मिली है, जो और सुदृढ़ होंगे। दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र और साथ-साथ मध्य एशिया और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के देशों के साथ बहुआयामी साझेदारी को सुदृढ़ किया जाएगा।

पूरे विश्व भर में दो करोड़ पचास लाख से अधिक अनुमानित भारतीय बिखराव एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत हैं तथा मेरी सरकार इनके साथ और भी प्रगाढ़ संबंध स्थापित करेगी। इस बिखराव के साथ हमारे संबंध और भाईचारे के कारण ही हम उनकी सलामती से प्रति पूर्ण सजग और उनके हितों के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक

आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और समसामयिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जैसे सांझी चिंताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अन्य देशों के साथ काम करेगा।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का विश्वास है कि आज हम जिस ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं, उसमें लोगों और राष्ट्र द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सृजनशीलता, नवाचार और उद्यमशीलता प्रमुख आधार हैं। निर्जीव परंपराओं का परित्याग अवश्य ही कर दिया जाना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी उन पर बंदिश लगाने वाली धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति और स्त्री-पुरुष के भेद संबंधी संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ रही है। राष्ट्र को उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उसकी नीतियां नवाचार की भावना से ओत-प्रोत हों ताकि सौ करोड़ से अधिक लोगों की रचनात्मकता उभर कर सामने आए। अगले दस वर्षों को नवाचार के दशक के रूप में समर्पित किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक संकेत हो सकता है परन्तु हमारी बहुत सी चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए अभिनव होने की आवश्यकता जताने वाला यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। भारत की युवा पीढ़ी स्वभावत: क्रियाशील है और शीघ्र ही परिवर्तन देखना चाहती है। उनके सपनों को साकार करने का दायित्व भी मेरी सरकार पर है। आइए, हम सब मिलकर, अगले पांच वर्षों के प्रत्येक दिन उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

जय हिन्द

अपराह्न 12.38$^{1}/_{2}$ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूचनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जैसा कि माननीय सदस्यों को लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1 जून, 2009 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूचनाएं आज अपराह्न 5.00 बजे तक सभा पटल पर रखी जा सकती हैं।

अपराह्न 12.39 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने सात पूर्व सहयोगियों श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री गुमान मल लोढा, श्री तुलामोहन राम, श्री ए.एफ. गोलम ओस्मानी, श्री श्रीशंकर तिवारी, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री होमी एफ. दाजी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव 1989 से 2009 तक नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान के जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री भार्गव 1972 से 1989 तक तीन कार्यकाल के लिए राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे।

दो दशक से अधिक समय के अपने लम्बे और गौरवशाली कार्यकाल के दौरान श्री भार्गव ने आवास समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री भार्गव नगरपालिका समिति, जयपुर के अध्यक्ष रहे और वह 1978 से 1980 तक शहरी सुधार न्यास, जयपुर के अध्यक्ष भी रहे। वह राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष; राजस्थान पुस्तकालय संघ, जयपुर के अध्यक्ष; भारतीय कालेज, जयपुर के संस्थापक और क्लोथ मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, जयपुर के संरक्षक भी रहे। वह प्रिज़नर्स एडवाइजरी कमेटी, जयपुर और टेलीफोन सलाहकार समिति, जयपुर के सदस्य भी रहे तथा वे चार बार नगरपालिका परिषद, जयपुर के सदस्य भी रहे। श्री भार्गव जयपुर में आम आदमी के कल्याण के लिए कार्यरत अनेक संगठनों से भी जुड़े रहे।

श्री भार्गव ने संसदीय परम्पराओं का पूर्णत: पालन किया और सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण वह सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेते थे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव का निधन 73 वर्ष की आयु में 8 मार्च, 2009 को अहमदाबाद में हुआ।

श्री गुमान मल लोढा 1989 से 1997 तक नौवीं से ग्यारहवीं लोक सभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री लोढा 1972 से 1977 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान श्री लोढा राजस्थान विधान सभा की याचिका समिति और प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति के सभापति रहे।

एक योग्य सांसद श्री लोढा नौवीं लोक सभा के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। दसवीं लोक सभा के दौरान वे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य और ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समितियों के सदस्य रहे।

एक स्वतंत्रता सेनानी तथा जानेमाने विधिवेत्ता श्री लोढा का कार्यकाल चार दशकों से भी लम्बा और शानदार रहा। वह 1978 से 1988 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वह 1988 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने। एक न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वादियों और सामान्य जनता के हितार्थ न्यायपालिका में सुधार किए। इससे पूर्व उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया। देश में विधिक प्रणाली में उनके विशिष्ट योगदान को सदा याद रखा जाएगा।

श्री लोढा बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक सिद्धहस्त लेखक भी थे। उन्होंने विधिक विषयों पर प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अनेक लेख लिखे। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें लिखीं।

श्री गुमान मल लोढा का निधन 82 वर्ष की आयु में 12 मार्च, 2009 को अहमदाबाद में हुआ।

श्री तुलामोहन राम 1962 से 1977 तक तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने तीसरी लोक सभा के दौरान बिहार के सोनबरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा चौथी और पांचवीं लोक सभा के दौरान बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री तुलामोहन राम 1957 से 1962 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सुयोग्य सांसद श्री तुलामोहन राम पांचवीं लोक सभा के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक श्री तुलामोहन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई तथा वे अनेक अवसरों पर जेल गये। वह सहरसा जिला किसान सभा; बिहार राज्य किसान सभा के सचिव भी थे तथा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, सहरसा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने समाज में छूआछूत और अन्य सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए अथक कार्य किया।

एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री तुलामोहन राम पुस्तकालय आंदोलन से भी जुड़े रहे। उन्होंने सहकारी आंदोलन और पंचायत प्रणाली में भी विशेष रुचि ली।

श्री तुलामोहन राम का निधन 28 मार्च, 2009 को 80 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री ए.एफ. गोलम ओस्मानी 1998 से 2009 तक बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने असम के बारपेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री ओस्मानी 1978 से 1982 तक असम विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री ओस्मानी बारहवीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति और गृह मंत्रालय संबंधी समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान वह वाणिज्य संबंधी समिति तथा सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने चौदहवीं लोक सभा के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति एवं मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

पेशे से एडवोकेट श्री ओस्मानी 1976 में सिल्चर बार एसोसिएशन के सचिव रहे। वह सिल्चर और गुवाहाटी से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका 'बोराक' के सम्पादक रहे। श्री ओस्मानी टैगोर सोसाइटी फार कल्चरल इंटिग्रेशन, सिलचर के सचिव भी रहे। श्री ओस्मानी आम आदमी की भलाई में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से भी जुड़े रहे।

श्री ए.एफ. गोलम ओस्मानी का निधन 76 वर्ष की आयु में 31 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री श्रीशंकर तिवारी 1971 से 1977 तक उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से अधिवक्ता रहे, श्री तिवारी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ला जनरल के संयोजक के रूप में भी कार्य किया तथा वे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय बार संघ के सचिव भी रहे।

एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता रहे, श्री तिवारी ने समाज के उपेक्षित तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया।

खेल-कूद में रुचि रखने वाले श्री तिवारी 1970 में जिमखाना क्लब, इलाहाबाद के सचिव भी रहे।

श्री श्रीशंकर तिवारी का निधन 85 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल, 2009 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में 1998 से 1999 तक बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व श्री वर्मा 1984 से 1990 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। राज्य सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने कई संसदीय समितियों में काम किया। श्री वीरेन्द्र वर्मा 1952 से 1962 तक और पुनः 1967 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार में 1959 से 1960 तक सहकारिता उप मंत्री; 1970 से 1971 तक सिंचाई, विद्युत, उद्योग, श्रम, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तथा गृह विभाग के कैबिनेट मंत्री और 1975 से 1977 तक कृषि के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा बारहवीं लोक सभा के दौरान कृषि संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री वर्मा 1990 के दौरान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक और 1990 से 1993 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे।

पेशे से कृषक श्री वर्मा 1949 से 1955 तक उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारिता यूनियन परिसंघ के उपाध्यक्ष रहे। 1967 से 1975 तक वे भारतीय गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1970 में वे उत्तर प्रदेश गन्ना मिल राष्ट्रीयकरण समिति के अध्यक्ष रहे। श्री वर्मा भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति और उत्तर प्रदेश एवं बिहार गन्ना बोर्ड के सदस्य भी रहे।

किसानों, विशेषतः गन्ना उत्पादक किसानों के उत्थान की दिशा में उनके अथक प्रयासों से देश में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। उनके निधन से देश ने किसानों और पद दलित लोगों का एक मसीहा खो दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा का निधन 93 वर्ष की आयु में 2 मई, 2009 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री होमी एफ. दाजी 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के इन्दौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य संसदविद, श्री दाजी तीसरी लोक सभा के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री दाजी 1957 से 1962 तथा 1972 से 1977 तक दो बार मध्य प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे।

पेशे से अधिवक्ता, श्री दाजी ने अपना राजनैतिक जीवन निचले स्तर से आरंभ किया। श्री दाजी भारतीय मजदूर संघ आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वह 1993 से लेकर अपनी मृत्यु तक अखिल भारतीय मजदूर संघ (एआईटीयू) के क्षेत्रीय सचिव रहे। श्री दाजी ने विक्रम विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री होमी एफ. दाजी का निधन 83 वर्ष की आयु में 14 मई, 2009 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।

माननीय सदस्यगण जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई, 2009 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आए 'आएला' चक्रवात के फलस्वरूप हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण जान-माल की भारी क्षति हुई तथा अनेक लोग बेघर हो गए।

माननीय सदस्यगण एक अन्य त्रासदी में एयर फ्रांस का रियो-डी-जिनेरी से पेरिस जा रहा विमान जिसमें विभिन्न देशों के 228 नागरिक सवार थे, एटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारी तूफान के कारण हुई यह दुर्घटना हाल के वर्षों की सबसे भीषण दुर्घटना है।

यह सभा इन दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 12.53 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.55 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 19 मार्च, 2009 की उद्घोषणा, जो मेघालय राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-3/15/2009]

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 19 मार्च, 2009 के आदेश, जो 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-4/15/2009]

(3) राष्ट्रपति को मेघालय के राज्यपाल द्वारा भेजे गए 17 मार्च, 2009 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-5/15/2009]

(4) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 13 मई, 2009 की उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेघालय राज्य के संबंध में 19 मार्च, 2009 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-6/15/2009]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च, 2009 को प्रख्यापित मेघालय विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 4)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-7/15/2009]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च, 2009 को प्रख्यापित मेघालय विनियोग अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 5)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-8/15/2009]

अपराह्न $12.55^1/_2$ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं, चौदहवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा 20 फरवरी, 2009 को सभा को सूचित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 13 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विनियोग (रेल) विधेयक, 2009;
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2009;
3. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009;
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009;
5. विनियोग विधेयक, 2009;
6. झारखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009;
7. झारखंड विनियोग विधेयक, 2009;
8. कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009;
9. धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009;
10. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2009;
11. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2009;
12. वित्त विधेयक, 2009; और
13. विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2009।

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009;
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009; और
3. पशुओं में संक्रामक तथा सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2009।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल टी-9/15/2009]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा कल 5 जून, 2009, पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 जून, 2009/15 ज्येष्ठ, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।